

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 640/2012/श्रीगंगानगर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नवीन एण्ड कम्पनी, रायसिंहनगर.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 724/2012/श्रीगंगानगर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स, गजसिंहपुर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 249/आरवैट/रायसिंहनगर/11-12 में पारित आदेश दिनांक 9.12.2011 एवं अपील संख्या 302/आरवैट/रायसिंहनगर/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य व विवादित बिन्दु सदृश्य हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. अपील संख्या 640/2012 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 (01.02.2007 से 31.3.2007) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2009 को पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार का आई.टी.सी. नहीं दिया गया। अतः कर रुपये 52,293/- एवं उक्त देय कर अदेय रहने के कारण ब्याज रुपये 12585/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त अवधि के दौरान मैसर्स नन्दलाल अशोक कुमार रायसिंहनगर से रुपये 13,17,898/- का माल क्रय किया जाना एवं उक्त खरीद पर आई.टी.सी. की देयता क्लेम किया गया। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, रायसिंहनगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा

लगातार.....2

जायेगा) ने प्रत्यर्थी व्यवहारी का प्रार्थना-पत्र आदेश दिनांक 17.12.2009 से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मैसर्स नन्दलाल अशोककुमार द्वारा प्रस्तुत वेट-09 में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई माल विक्रय किया जाना नहीं दर्शाया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील संख्या 724/2012 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006-07 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.03.2009 को पारित किया गया, जिसमें रुपये 1,55,836/- का आई.टी.सी. सत्यापन की शर्त पर दिया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रेता व्यवहारी मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिये जाने के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-रायसिंहनगर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 28.10.2010 को पारित करते हुए उक्त आई.टी.सी. रुपये 1,55,836/- को रिवर्स करते हुए ब्याज रुपये 74,033/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2011 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी के विक्रेता व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी को कोई विक्रय नहीं किया जाना दर्शाये जाने एवं उक्त पेटे कोई कर जमा नहीं कराये जाने के आधार पर एवं विक्रेता व्यवहारी मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिये जाने तथा विक्रेता द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार आई.टी.सी. अस्वीकार करते हुए तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया है, जो विधिसम्मत है। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आई.टी.सी. का समायोजन तभी स्वीकार किया जा सकता है, जबकि विक्रेता राजकोष में कर जमा करा दे। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रेता द्वारा कोई कर जमा नहीं कराया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपण में कोई भूल नहीं की गयी थी, फिर भी अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थीगण की अपीलें स्वीकार कर विधिक भूल की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।



6. बहस के दौरान प्रत्यर्थागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्था व्यवहारीगण के विक्रेता व्यवहारियों विक्रेता व्यवहारी का पंजीयन भूतलक्षी प्रभाव से बाद में निरस्त किया गया था तथा उसके द्वारा जारी वेट इन्वॉयस फर्जी नहीं थे। यह तथ्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत जवाब में भी स्पष्ट किया जा चुका था। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी के विक्रेता द्वारा कर राजकोष में जमा नहीं कराने का उत्तरदायित्व प्रत्यर्था पर नहीं डाला जा सकता। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्था द्वारा क्रीत माल के संव्यवहार सद्भावी होने की स्थिति में रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2015) 41 टैक्स अपडेट 269 (राज.) पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड का न्यायिक दृष्टान्त 27 टैक्स अपडेट 109 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर उद्धरित करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरणों में प्रत्यर्था व्यवहारीगण द्वारा विक्रेता व्यवहारियों से की गई खरीद पर चुकाये गये वेट के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों से स्पष्ट होता है कि मैसर्स नन्दलाल अशोक कुमार, रायसिंहनगर द्वारा प्रत्यर्था मैसर्स नवीन एण्ड कम्पनी को आलौच्य अवधि में कोई माल विक्रय किया जाना ही नहीं बताया गया है, एवं ना ही उक्त तथाकथित खरीद के पेटे किसी प्रकार का कर जमा करवाया गया है। इसी प्रकार मैसर्स मनीष एन्टरप्राइजेज, हनुमानगढ़ का पंजीयन दिनांक 01.04.2006 से ही निरस्त कर दिया जाना निर्विवादित है एवं ना ही उक्त विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रत्यर्था व्यवहारी को की गयी खरीद के पेटे वेट राजकोष में जमा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित नहीं होने के कारण तथा विक्रेता व्यवहारी द्वारा वेट जमा नहीं कराने के कारण आई.टी.सी. अस्वीकार कर रिवर्स टैक्स व ब्याज आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त संव्यवहारों को सद्भावी मानते हुए प्रत्यर्थागण की अपीलें स्वीकार की गई हैं।



लगातार.....4

9. वेट अधिनियम की धारा 18(2) अनुसार आगत कर का समायोजन किये जाने हेतु विक्रेता द्वारा आगत कर जमा कराया जाना आवश्यक है तथा उपधारा (3) अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहार सद्भावी प्रमाणित कराने का दायित्व व्यवहारी पर डाला गया है। अधिनियम की धारा 18(2) व (3) उद्धरित करना समीचीन होगा :-

18. Input Tax Credit. -

(1)

(2) The claim of **input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice** within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases-

(i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or

(ii) of goods made in the course of import from outside the State; or

(iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or

(iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or

(v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.

10. इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 64 वी.एस.टी. 234 पैकवेल इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में निम्न निष्कर्ष दिया गया है :-

Held, dismissing the petition, that on verification of the records the authorities found that on date of the purchase made by the petitioner, the selling dealers were de-registered. The whereabouts of them were also not known. Hence, it was clear that the petitioner had made transactions with bogus and fake dealers, and availed of the input-tax rebate on the basis of the fake tax invoices. The selling dealers had not filed any declarations nor remitted the tax collected from the petitioner. The petitioner had not furnished reliable and proper information about the existence of the sellers. Section 70(1) of the Act, cast burden of proof on the dealer who claimed exemption or input-tax rebate. Further it was clear from the records that the petitioner had not produced any materials to show that the dealer with whom the petitioner has made transaction had remitted the tax collected from it as required under section 70, though the petitioner has been making transaction with the dealers for more than three years. Therefore the petitioner was not entitled to claim input-tax rebate and was liable to pay the penalty and interest under sections 72(2) and 36, respectively, of the Act. Thus there was not infirmity or irregularity in the order passed by the Tribunal.

11. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in *Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council*⁴, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in *Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha*⁵, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. **Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not**

लगातार.....6

been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

12. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1248, 1249/2013/अलवर मैसर्स राज मोटर्स मशीनरी स्टोर्स, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2014 (40 टैक्स अपडेट 124) में प्रतिपादित किया गया है।
13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2015) 41 टैक्स अपडेट 269 (राज.) पूजा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :-

"Sec. 18(3)(v) of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 - Input Tax Credit - As per the provisions of Section 18(3)(v), the Assessing Authority may deny the input tax credit to the assessee if the assessee fails to prove the genuineness of purchase transaction on being asked to do so, but then, before holding a purchase transaction to be non genuine, the Assessing Authority has to arrive at the finding of inadequacy, insufficiency or involvement of element of fraud/forgery in relation to the documents submitted by the assessee for claiming input tax credit. It is submitted that an assessee is not required to prove that the tax has been paid to the State at the first point of sale in series of ensuing sales. Learned counsel submitted that it is impossible for a dealer to trace the entire chain of purchase transactions and procure the proof of payment of tax by the dealer who originated the sale. According to the petitioner if the selling and purchasing dealers have collected and deposited the tax on the value of the underlying sale, any anterior or posterior link in the series would have no bearing on the transactions. It is submitted that the Assessing Authority has disallowed the input tax credit to the petitioner to the tune of Rs. 81,48,947/- by passing a non speaking order, merely on the ground that petitioner has not been able to produce the proof of payment of tax at the point of origin of sale and therefore, orders impugned deserve to be set aside. Rajasthan High Court at Jodhpur while allowing the petition of dealer held that :-

"There is no finding recorded by the Assessing Authority regarding the collected tax being deposited by the selling dealer in respect of the purchase transactions entered into by the petitioner. Further, the involvement of the petitioner in alleged first sale in the series of


लगातार.....7

sales, which is found to be suspicious and bogus, is presumed without there being any justifiable reason available on record. Thus, on the facts and in the circumstances of the case, in the considered opinion of this court, without considering the submissions of the petitioner and the material placed on record in their entirety and objectivity, the finding recorded by the Assessing Authority discarding the purchase transactions in question as not genuine, is not sustainable in the eyes of law."

14. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रत्यर्थागण को वेट अधिनियम की धारा 10 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार होने के सम्बन्ध में सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। धारा 10 में प्रत्यर्था व्यवहारी पर यह भार अधिरोपित है कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट की हकदारी को साबित करे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी (S.B.C.W.P. No. 9017/2013) निर्णय दिनांक 02.03.2015 के मामले में दी गई व्यवस्था की पालना में कर निर्धारण अधिकारी संव्यवहारों की प्रमाणिकता की जांच करे तथा वेट अधिनियम की धारा 18(3)(v) में इनपुट टैक्स क्रेडिट की हकदारी अस्वीकार करने से पूर्व यह लिखित में उपपत्ति (Finding) लेखबद्ध करे कि व्यवहारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की हकदारी के लिये प्रस्तुत दस्तावेज/सबूत किस प्रकार अपर्याप्त हैं या उनमें किस प्रकार मिथ्या होने का तत्व निहित है तथा विक्रेता से प्रत्यर्था व्यवहारी द्वारा उसकी खरीद पर संग्रहित कर को जमा होने के तथ्य की पुष्टि करे।

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपीलें स्वीकार की जाकर, प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य